

E-mail

समाहरणालय, पटना
(जिला स्थापना शाखा)

फोन नं०-0612-2219545 (का०)
फैक्स नं०-0612-2218900
E-mail ID-edcpatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

आदेश

श्री आलोक कुमार शर्मा, तत्कालीन लिपिक (निलंबित), अंचल कार्यालय, पुनपुन सम्प्रति मुख्यालय अनुमण्डल कार्यालय, मसौढ़ी के विरुद्ध सूचक (परिवादी) श्री अखिलेश कुमार से दिनांक-06.06.2011 को 6000.00 (छः हजार) रूपया रिश्वत लेते हुए निगरानी धावा दल द्वारा अंचल कार्यालय, पुनपुन के मुख्य द्वार के बाहर से गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने एवं निगरानी थाना कांड संख्या-033/2011 दिनांक-06.06.2011 धारा-07/13 (2)-सह-पठित धारा 13(1)(डी)भ०नि० अधिनियम 1988 के तहत दर्ज होने के फलस्वरूप इनके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक आचार निगमनाली के नियम-3-1 (i) (ii)(iii) के विरुद्ध भ्रष्ट आचरण करने एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठावान नहीं रहने का आरोप प्रपत्र 'क' में गठित है। यह मामला निगरानी विभाग में अन्वेषण एवं विचारण में है।

उपर्युक्त के आलोक में आदेश ज्ञापांक-529/स्था० दिनांक-13.02.2012 के द्वारा श्री शर्मा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई, जिसमें संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-181/वि०जाँ दिनांक-05.12.2012 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन -सह- मंतव्य प्राप्त हुआ, जिसके आलोक में आदेश ज्ञापांक-2827/स्था० दिनांक-13.08.2013 के द्वारा श्री शर्मा को निलंबन से मुक्त करते हुए जिला स्थापना शाखा, पटना में योगदान करने का आदेश दिया गया।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विभागीय कार्यवाही के संचालन में आरोपी कर्मी द्वारा लिये गये रिश्वत तथा अरोपकर्ता एवं गवाहों की सुनवाई पर विचारण नहीं किया गया है। अतः मामले की गंभीरता को देखते हुए आदेश ज्ञापांक-821/स्था० दिनांक-05.03.2014 के द्वारा श्री शर्मा के विरुद्ध पुनः नये सिरे से विभागीय कार्यवाही संचालन करने का निर्णय लेते हुए इन्हें पुनः निलंबित कर इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी को प्रस्तोता पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच, पटना -सह- संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही का विधिवत संचालन के पश्चात उनके पत्रांक-290/वि०जाँ० दिनांक-11.09.2014 के माध्यम से प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसके अनुसार श्री शर्मा के विरुद्ध गठित आरोप प्रमाणित पाया गया है। श्री शर्मा के विरुद्ध गठित आरोप, आरोपी का कारण पृच्छा एवं संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन/मंतव्य की विवरण निम्नांकित है :-

आरोप का विवरण	आरोपी का कारण पृच्छा	संचालन पदाधिकारी का मंतव्य
दिनांक-06.06.2011 को लगभग 4:30 बजे अपराहन में निगरानी विभाग द्वारा रिश्वत लेने के आरोप में अंचल कार्यालय, पुनपुन के मुख्य द्वार के बाहर से गिरफ्तार किया गया। जिसके लिए निगरानी थाना कांड सं०-33/2011 दिनांक-06.06.2011 धारा 7/13 (2) सह पठित धारा-13(1)(डी) भ०नि० अधि०	मैं आलोक कुमार शर्मा, अंचल कार्यालय, पुनपुन, जिला-पटना में लिपिक के पद पर कार्यरत था। इसी अंचल ग्राम-बराह के पिन्दु कुमार पिता-रामस्वरूप सिन्हा प्रखण्ड अंचल कार्यालय में दलाली का कार्य करते हैं जिनके क्रियाकलाप को मेरे द्वारा निरन्तर विरोध किया जाता था क्योंकि इनके द्वारा जाति-आय एवं लैन्ड पोजेशन सर्टिफिकेट इत्यादि बनाने में फर्जीवाड़ा किया जाता था। इसकी शिकायत कई बार मैं अंचल अधिकारी, पुनपुन को भी मौखिक रूप से किया था। इनके द्वारा अपने आपको एक जाति विशेष का नेता बताकर प्रखण्ड अंचल कर्मियों का भयानोहन भी किया जाता था। इसी बात से क्षुब्ध और आक्रोशित होकर इनके द्वारा मुझे कई बार मुकदमा में फंसा कर जेल भेजने की धमकी भी दी गयी थी। आगे सूचित करना है कि इसी क्रम में पिन्दु कुमार के द्वारा एक साजिश रचकर मुझ गरीब लोक सेवक को निगरानी विभाग को पुलिस कर्मियों को मेल में लाकर मुझे एक षडयंत्र के तहत झूठा केश में फंसाकर जेल भेजवा दिया गया है। इसी बात से लगाया	कांडिका-1. आरोप पर दिनांक-06.06.2011 को लगभग 4:30 बजे अपराहन में निगरानी विभाग द्वारा रिश्वत लेने के आरोप में अंचल कार्यालय, पुनपुन के मुख्य द्वार के बाहर से गिरफ्तार होने का आरोप आरोपी कहना है सूचक एवं उन भाई द्वारा निगरानी

h

समाहरणालय, पटना
(जिला स्थापना शाखा)

फोन नं०-0612-2219545 (का०)
फैक्स नं०-0612-2218900
E-mail ID-edcpatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

1988 के तहत दर्ज है तथा अन्वेषण एवं विचारण में है।

आपके उपरोक्त आचरण से स्पष्ट होता है कि आप अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान नहीं रहे हैं और भ्रष्ट आचरण करते हुए आपने सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रावधानों के प्रतिकूल कार्य किया है।

जा सकता है कि दोनों व्यक्ति जेल भेजवाने हेतु छल पूर्वक अपने फुफेरे भाई अखिलेश कुमार का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया। निगरानी विभाग के पदाधिकारियों द्वारा उक्त लोगों से मिलकर मुझे गरीब लोक सेवक को झूठे केश काण्ड में फँसाने का किस प्रकार खेल खेला गया है। इसका खुलासा में निम्न तथ्यों के माध्यम से भवदीय के समक्ष करना चाहता हूँ।

1. यह कि पिन्टु कुमार के द्वारा ग्राम रामपुर थाना पुनपुन निवासी अपने फुफेरे भाई अखिलेश कुमार का इस्तेमाल करते हुए इनसे एक गुप्त आवेदन थानाध्यक्ष सह पुलिस अधीक्षक निगरानी थाना, पटना को दिनांक 05.06.2011 को दिलवाया गया। जिसमें इस कार्य के लिए द्वारा मो०-10:00 रूपया रिश्वत माँगने का मिथ्या आरोप लगाया गया जिस कार्य के लिए मैं अधिाधिकारी, पुनपुन के द्वारा प्राधिकृत नहीं था।

2. यह है कि निगरानी विभाग के धावदल के द्वारा मुझे आरोपों के मद्देनजर पहले मुझे दिनांक 06.06.2011 को संध्या 5:00 बजे गिरफ्तार किया गया। इसके बाद निगरानी थाना पटना में मेरे विरुद्ध प्राथमिकी काण्ड संख्या 33/2011 दिनांक 06.06.2011 समय 19:30 बजे दर्ज किया गया जो कानून विरुद्ध है।

3. यह कि परिवादी अखिलेश कुमार को मैं जानता भी नहीं हूँ न ही प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि से पहले यह कभी मेरे पास कोई कार्य के लिए मेरे कार्यालय में नहीं आये थे। जबकि इनके द्वारा दिनांक 06.06.2011 को पिन्टु कुमार के इशारे पर षड्यंत्र पूर्वक एवं विशेषकर मुझे फँसाने के नियत से पुलिस अधीक्षक सह थानाध्यक्ष निगरानी थाना, पटना में मेरे विरुद्ध एक गुप्त आवेदन दिया गया। ज्ञातव्य हो कि इस आवेदन में सूचक के द्वारा अनियोजन प्रमाण पत्र बनवाने के ऐवज में मुझ पर 10,000/- रूपया रिश्वत माँगने का आरोप लगाया गया है। परन्तु इस आवेदन के आधार पर निगरानी थाना पटना में न तो प्राथमिकी दर्ज की गयी और न ही कोई सनहा दर्ज किया गया और इसके बायी ओर आरक्षी संतोष कुमार सिंह को सत्यापन कार्य करने का पृष्ठांकित आदेश पुलिस अधीक्षक के द्वारा दिया गया है। ज्ञातव्य हो कि सत्यापन कार्य किसी मामले का अनुसंधान का ही प्रारम्भिक चरण है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा-17 के तहत यह कार्य करने के लिए पुलिस का चतुर्थवर्गीय सिपाही प्राधिकृत नहीं है और यह कार्य थाना में कम से कम सनहा दर्ज कर पुलिस निरीक्षक अथवा पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी के द्वारा ही किया जाना चाहिए था। जाहिर है कि पुलिस अधीक्षक सह थानाध्यक्ष निगरानी थाना पटना के द्वारा मुझे फँसाने के उद्देश्य से ही आवेदक के आवेदन पर निगरानी थाना में बिना कोई सनहा दर्ज किये ही गैर प्राधिकृत सिपाही को सत्यापन कार्य करने के लिए अवैध ढंग से कानून विरुद्ध आदेश दिया गया।

4. यह कि प्राथमिकी के साथ संलग्न सूचक के आवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस अधीक्षक के उक्त पृष्ठांकित आदेश को सिपाही संतोष कुमार सिंह के द्वारा इसी आवेदन पर "महाशय देखा" लिखकर बिना थाना अभिलेख में प्रस्थान आगमन का इन्डोज किये ही सत्यापन कार्य के लिए प्रस्थान कर गये हैं, इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि गैर प्राधिकृत

विभाग के पदाधिकारियों से मिलकर षड्यंत्र के तहत उन्हें फँसाया गया है। आरोपी का यह भी कहना है कि जिस कार्य के लिए उन पर रिश्वत माँगने का आरोप लगाया गया है वह उनको आवंटित ही नहीं था।

आरोपी का यह भी कहना है कि उन्हें षड्यंत्र पूर्वक फँसाने हेतु एक ही दिन दिनांक 06.06.2011 को सूचक से आवेदन प्राप्त कर लिया गया, उसी दिन उनके प्राधिकृत व्यक्ति का सत्यापन का पृष्ठांकित आदेश दिया गया तथा उसी दिन सिपाही द्वारा प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर दिया गया और उसी दिन धावादल का गठन भी कर लिया गया तथा उसी दिन उनकी गिरफ्तारी का पूर्वाभ्यास भी कर लिया तथा उसी दिन चंद घंटों के अन्दर उन्हें षड्यंत्रकारियों के इशारे पर गिरफ्तार भी कर लिया गया तथा उसी दिन पोस्ट ट्रैप मेमोरेण्डम बनाकर प्राथमिकी भी दर्ज

समाहरणालय, पटना
(जिला स्थापना शाखा)

फोन नं०-0612-2219545 (का०)
फैक्स नं०-0612-2218900
E-mail ID-edcpatna@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

सत्यापन कर्ता सिपाही सत्यापन कार्य के लिए मेरे कार्यालय में आये बिना ही कृत रचित और मनगढंत सत्यापन प्रतिवेदन मुझे धावादल द्वारा गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अधीक्षक सह थानाध्यक्ष को दे दिये हैं जिससे कि मेरे विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य गढ़ा जा सके और झूठे मुकदमा में फँसाया जा सके।

5. यह कि सत्यापन कर्ता सिपाही के द्वारा दिनांक 06.06.2011 को ही सत्यापन दर्शाकर उसी दिन पुलिस अधीक्षक एवं अपर महानिदेशक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा आरोप सत्य पाये जाने पर भी मेरे विरुद्ध निगरानी थाना में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी और धावादल के गठन का अवैध आदेश सत्यापन कर्ता के सत्यापन प्रतिवेदन पर ही पृष्ठांकित आदेश द्वारा दिया गया है, उसी दिन 06.06.2011 को ही धावादल का गठन दर्शाया गया है जबकि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के तहत मेरे विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के बाद ही मेरी गिरफ्तारी के संबंध में नियमानुकूल कार्रवाई की जा सकती थी चूंकि मैं अंचल में कार्यरत एक तृतीय स्तर का गरीब कर्मचारी हूँ, इसलिए निगरानी विभाग के द्वारा कानून और नियमों को ताक पर मुझे पहले झूठे आरोप में गिरफ्तार किया गया और बाद में निगरानी कार्यालय में मुझे लाकर निगरानी विभाग के पदाधिकारियों एवं सूचक तथा इसके सगे संबंधियों के साथ मिलकर षडयंत्र पूर्वक मेरे विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया था।

6. ज्ञातव्य हो कि निगरानी विभाग अपने ही आदेश ज्ञापांक-2697 दिनांक 31.05.2007 तथा मुख्य सचिव, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक 945 दिनांक 24.06.2005 का खुल्लम-खुलला उल्लंघन कर सूचक परिवादी से परिवाद पत्र के साथ कोई शपथ पत्र नहीं लिया गया है। जाहिर है कि निगरानी विभाग द्वारा निर्दोष लोक सेवकों के पद प्रतिष्ठा और जीवन से खिलवाड़ करते हुए कुट रचित दस्तावेजों के आधार पर झूठा मुकदमा गढ़ कर फँसाने के उद्देश्य से ही ऐसा किया जाता है।

7. इस मामले का आश्चर्य जनक पहलू यह है कि मुझे जाल में षडयंत्र पूर्वक फँसाने हेतु एक ही दिन दिनांक 06.06.2011 को सूचक से आवेदन प्राप्त कर लिया गया, उसी दिन मेरे प्राधिकृत व्यक्ति का सत्यापन का पृष्ठांकित आदेश दिया गया तथा दिनांक 06.06.2011 को ही सत्यापन पर सिपाही द्वारा रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दिया गया और इसके आलोक में दिनांक 06.06.2011 को ही श्री सी० पी० पासवान पुलिस उपाधीक्षक के द्वारा धावादल का गठन भी कर लिया गया। मेरी गिरफ्तारी का पूर्वाभ्यास भी कर लिया गया तथा उसी दिन चन्द घंटों के अन्दर मुझे षडयंत्रकारियों के इशारे पर गिरफ्तार भी कर लिया गया, तथा उसी दिन पोस्ट ट्रेप मेमोरेण्डम बनाकर प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गयी तथा मुझे जेल भी भेज दिया गया।

8. धावादल के द्वारा जिन दो लोगों को इस ट्रेप मामले में स्वतंत्र साक्षी होने का दावा किया जा रहा है वे लोग निगरानी विभाग के खरीदे हुए लोग हैं तथा जिनमें पिन्दु कुमार मुख्य षडयंत्रकर्ता को एक स्वतंत्र साक्षी बताया गया है जो सूचक का फुफेरा भाई है तथा दूसरी गवाह गीता देवी, पति श्री गणेश प्रसाद सा० चितकोहरा थाना गर्दनीबाग जो सूचक की बहन है उपरोक्त

कर ली गयी तथा उन्हें जेल भी भेज दिया गया।

आरोपी का कारण-पृच्छा स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि आरोप पत्र एवं संलग्न साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 06.06.2011 को निगरानी विभाग द्वारा रिश्तत लेने के आरोप में अंचल कार्यालय, पुनपुन के मुख्य द्वार के बाहर से गिरफ्तार किया गया तथा निगरानी थाना कांड

संख्या-33/11 दिनांक 06.06.2011 धारा 07/13 (2) सह पठित धारा-13 (1) (डी) अ०नि०अधि० 1988 के तहत दर्ज है तथा अन्वेषण एवं विचारण में है। आरोपी का स्पष्टीकरण अपने कृत्य को छुपाने का प्रयास मात्र है।

उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पर प्रपत्र-'क' में लगाया गया आरोप प्रमाणित होता है।

